UPGK010048822026

न्यायालय : सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।

अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या- 2122/2026,

मोनू पुत्र भोला, उम्र करीब 25 वर्ष,
निवासी- बढ़नी, परमेश्वरपुर,
थाना- चिलुआताल, जनपद- गोरखपुर। आवेदक/अभियुक्त,

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी,

अपराध संख्या- 279/2026,
धारा- 109,191 (2),115 (2),352,351 (3) भारतीय न्याय संहिता,
थाना- गुलरिहा, जनपद- गोरखपुर।

10.06.2026

आदेश

अग्रिम जमानत का यह प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा- 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आवेदक/अभियुक्त मोनू की ओर से अपराध संख्या- 279/2026, धारा- 109, 191 (2),115 (2),352,351 (3) भारतीय न्याय संहिता, थाना- गुलरिहा, जनपद- गोरखपुर के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है।

अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 06.04.2026 को समय करीब 05:00 बजे शाम को प्रथम सूचनाकत्री इन्द्रावती के पड़ोस के रहने वाले कोईल, टासुल, सोनू, मोनू, अमरनाथ, आदित्य व अज्ञात लोग पुरानी रंजिश को लेकर प्रथम सूचनाकत्री के घर के विशाल, मुराती देवी, भुआल व मीरा को जान से मारने की नीयत से धारदार हथियार व लाठी-डण्डो से मार-पीट कर घायल कर दिया गया। उपरोक्त लोग गाली व धमकी देते हुए भाग गये।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक/अभियुक्त पूर्णतया निर्दोष है, अभियोजन पक्ष के द्वारा आवेदक के खिलाफ मनगढ़ंत व काल्पनिक कहानी बनाकर मुकदमा पंजीकृत कराया गया है जो सरासर मिथ्या व वेबुनियाद है। आवेदक को महज रंजिशन उक्त मुकदमे मे अभियोजन पक्ष की तरफ फंसाया गया है तथा स्थानीय थाना गुलरिहा की पुलिस आवेदक को उक्त फर्जी मुकदमें में फंसाकर जेल भेजने का दबाव बना रही है तथा आवेदक को जेल भेजकर आवेदक की सामाजिक मान प्रतिष्ठा को धूमिल करना चाहती है। आवेदक के रिश्तेदार व वादी मुकदमा के बीच जमीन का मुकदमा चल रहा था, मुकदमा का आदेश आवेदक के रिश्तेदार के पक्ष में आने के कारण वादिनी पक्ष के लोग

आग बबूला होकर आवेदक व उसके रिश्तेदार के परिजनों को जान मारने की नियत से बुरी तरह मारे पीटे है। आवेदक के रिश्तेदार के परिवार वालों को विपक्षीगण द्वारा काफी बुरी तरह से जान मारने के नियत से सुनियोजित ढंग से हमला कर मारा गया है जिसमें कोईल, अमरनाथ, गुडडी देवी, आदित्य को काफी चोटे आयी और अजय निषाद मेडिकल कालेज में हालत गम्भीर होने के कारण डा० लाल मल्टी स्पेशिलिटी हास्पिटल में भर्ती कराकर ईलाज कराया गया था, जहाँ पर उसका जबड़ा बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने के कारण आपरेशन हुआ है। वादी मुकदमा द्वारा जो तथाकथित मारने-पीटने की बात तहरीर में बताई गयी है उसमें किसी भी व्यक्ति का विशिष्ट भूमिका नहीं दिखाई कि किसने किसको मारा जो अपने आप में ही संदेहास्पद है। साथ ही जिस धारदार हथियार की बात बताई जा रही है उसको पुलिस द्वारा न तो बरामद किया गया है क्योंकि ऐसा कोई वेपन था ही नही केवल फंसाने के लिए स्वांग रचा गया है। साथ ही विपक्षीगणों को आई चोटे सामान्य प्रकृति की है। आवेदक का उक्त मामले से कोई लेना-देना नहीं है, क्योंकि घटना वाले दिन घटना के समय आवदेक व उसका भाई दोनों बाजार में सब्जी बेच रहे थे। इन समस्त आधारों पर उन्होंने आवेदक/ अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया है

अभियोजन पक्ष की तरफ से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक ने जमानत प्रार्थना-पत्र का प्रबल विरोध एवम् खण्डन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदक/अभियुक्त व सह-अभियुक्त द्वारा एक राय होकर सामान्य आशय की पूर्ति में धारदार हथियार व लाठी-डण्डो से प्रहार कर विशाल, मुराती देवी, भुआल व मीरा को गम्भीर उपहति पहुॅचायी गयी तथा आवेदक/अभियुक्त व सह-अभियुक्तो द्वारा गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी गयी। अतएव मामले की गम्भीरता एवं आवेदक/अभियुक्त की कथित अपराध में भूमिका को देखते हुए उनके द्वारा जमानत प्रार्थना-पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

मैंने आवेदक/अभियुक्त की तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र पर उसके विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के विद्वतापूर्ण तर्को को विस्तारपूर्वक सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का परिशीलन किया।

प्राथमिकी में आवेदक/अभियुक्त व सह-अभियुक्त के विरूद्ध पुरानी रंजिश को लेकर प्रथम सूचनाकत्री इन्द्रावती के घर के विशाल, मुराती देवी, भुआल व मीरा को जान से मारने की नीयत से धारदार हथियार व लाठी-डण्डो से मार-पीट कर घायल करने तथा गाली व धमकी देने का उल्लेख है, जिससे आवेदक/अभियुक्त ने अपने जमानत प्रार्थना-पत्र में इंकार किया है। चिकित्सकीय परीक्षण आख्या में आहत भुआल को सिर में तथा सीने में चोट लगने के कारण दिनांक 06.04.2026 को शाम 05:00 बजे इलाज हेतु लाया जाना उल्लिखित है। आहत मुराती देवी को सिर में चोट लगने के कारण दिनांक 06.04.2026 को शाम 05:00 बजे इलाज हेतु लाया जाना उल्लिखित है तथा आहत मीरा को चोट आना उल्लिखित है। घटना का क्रास-केस प्राथमिक पंजीकृत है। क्रास केस के प्रकरण में भी (अभियुक्त की तरफ से) तीन

लोग को आहत होना कहा गया है। क्रास-केस के अभिकथन तथा उभय पक्ष के तर्क को दृष्टिगत रखते हुए इस स्तर पर यह अवधारित किया जाना समीचीन नहीं है कि घटना में कौन सा पक्ष अग्रसर अथवा आक्रान्ता रहा है। इस स्तर पर यह भी अवधारणा व्यक्त किया जाना न्यायसंगत नहीं है कि किस विशिष्ट व्यक्ति ने किस पक्ष के किस विशिष्ट व्यक्ति को किस विशिष्ट अस्त्र से उपहति कारित किया है। आवेदक/अभियुक्त को किसी अपराध में पूर्व में नामित अथवा दोषसिद्ध होना नहीं कहा गया है। मामले के विचारण की अवधि में आवेदक/अभियुक्त को पलायन किये जाने, साक्ष्य से छेड़छाड़ करने या साक्षीगण को डराये धमकाये जाने की कोई आशंका अभियोजन पक्ष द्वारा व्यक्त नहीं की गयी है।

अतएव मामले के सम्पूर्ण तथ्य, परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति तथा आवेदक/अभियुक्त की कथित अपराध में भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किये बिना आवेदक/अभियुक्त की तरफ से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त की तरफ से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त मोनू द्वारा मु0-50,000/- (पचास हजार रुपये) का व्यक्तिगत बन्ध-पत्र तथा इतनी ही राशि के दो प्रतिभूओं एवं निम्न आशय की वचनबद्धता प्रस्तुत करने पर उसे दौरान विचारण अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाये-

1. आवेदक/अभियुक्त निष्पादित बन्धपत्र में वर्णित शर्तों के अनुसार न्यायालय की कार्यवाही में प्रतिभाग करेगा,

2. आवेदक/अभियुक्त न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेंगा।

3. यदि आवेदक/अभियुक्त के पास पासपोर्ट है, तो वे उसे सम्बन्धित न्यायालय में जमा करायेंगा।

4. आवेदक/अभियुक्त न्यायालय द्वारा नियत तिथियों/आरोप विरचित किए जाने, विचारण व निर्णय आदि की तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होते रहेंगे एवं अनावश्यक स्थगन नहीं लेंगा।

5. आवेदक/अभियुक्त निष्पादित बन्धपत्र की शर्तों के अनुसार हाजिर होंगा।

6. आवेदक/अभियुक्त उस अपराध, जिसको करने का उन पर अभियोग या सन्देह है, कोई अपराध नहीं करेंगा।

7. आवेदक/अभियुक्त मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति का न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मानने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देंगा या साक्ष्य को नहीं बिगाड़ेंगा।

किसी भी शर्त का उल्लघंन होने की स्थिति में आवेदक/अभियुक्त की जमानत निरस्त करने के लिए विचारण न्यायालय स्वतन्त्र होगी। इस आदेश की एक प्रति सम्बन्धित न्यायालय को प्रेषित की जाए।

दिनांकः 10.06.2026

(राज कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।
J.O. Code–UP1889

Digitally signed by RAJ KUMAR SINGH
Date: 2026.06.10 15:43:26 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court